प्रेषक,

राज प्रताप सिंह,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
औरैया, बलरामपुर, मथुरा, मुजफ्फरनगर, इलाहाबाद, प्रतापगढ़, वाराणसी, बुलन्दशहर, सीतापुर, सहारनपुर, मऊ, जौनपुर, गोरखपुर एवं चित्रकूट।

शिक्षा अनुभाग–6 **लखनऊ** **दिनांक** **07 जुलाई, 2008**

विषयः महिला समाख्या के माध्यम से मध्यान्ह भोजन योजना संचालन हेतु धनावंटन की व्यवस्था के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्याः 663/79–6–2008 दिनांक 03.04.2008 एवं शासनादेश संख्या–1438/79–6–2008 दिनांक 10.06.2008 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रदेश के 14 जनपदों के चिन्हित विकासखण्डों में मिड–डे मील योजना का संचालन महिला समाख्या के माध्यम से किए जाने के आदेश किए गये है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि महिला समाख्या उ0प्र0 के राज्य परियोजना निदेशक के द्वारा यह अवगत कराया गया कि महिला समाख्या को मध्यान्ह भोजन योजना संचालन हेतु धनराशि उपलब्ध नहीं करायी गयी है। अतः अपने से सम्बन्धित जनपदों के चिन्हित विकासखण्डों/ग्रामों/विद्यालयों में जहाँ पर मध्यान्ह भोजन योजना का संचालन महिला समाख्या द्वारा किया जा रहा है, वहाँ पर गत वष्र के 30 सितम्बर को मध्यान्ह भोजन ग्रहण कर रहे छात्रों की संख्या के आधार पर प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों हेतु परिवर्तन लागत के निर्धारित दरों के आधार पर महिला समाख्या की जिला इकाई को निम्न शर्तों के अधीन धनावंटन किया जायः–

1. महिला समाख्या की सम्बन्धित जिला इकाई द्वारा मध्यान्ह भोजन योजना संचालन हेतु एक पृथक बचत बैंक खाता किसी राष्ट्रीकृत बैंक में खोला जाएगा।
2. उक्त खाते का संचालन महिला समाख्या की जिला इकाई संचालक एवं सम्बन्धित जनपद के वित्त एवं लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा, उ0प्र0 द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा।
3. महिला समाख्या की जिला इकाई द्वारा परिवर्तन लागत सम्बन्धी धनावंटन महिला संघों को किया जाएगा। इस हेतु महिला संघ द्वारा योजना संचालन हेतु एक पृथक बचत बैंक खाता अनिवार्य रूप से खोला जाएगा एवं इस खाते का संचालन संयुक्त हस्ताक्षरों के अन्तर्गत किया जाएगा।
4. योजनान्तर्गत प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों हेतु परिवर्तन लागत मद में होने वाले व्यय का लेखा जोखा/एम0डी0एम0 रजिस्टर मासिक स्तर पर रखते हुए पृथक–पृथक व्यय विवरण महिला समाख्या की जिला इकाई द्वारा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराया जाएगा।
5. जिलाधिकारी द्वारा योजना के नोडल अधिकारी के रूप में जनपद का परिवर्तन लागत व्यय सम्बन्धी उपभोग प्रमाणपत्र पूर्व आदेशों की भांति उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें महिला समाख्या द्वारा किए गये व्यय का भी समावेश होगा।
6. जिन जनपदों के चिन्हित विकाखण्डों/ग्रामों में महिला समाख्या द्वारा मध्यान्ह भोजन योजना संचालित की जा रही है वहाँ योजना संचालन हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जनपद स्तर

पर गठित समिति में महिला समाख्या की जिला इकाई समन्वयक को भी एक अनिवार्य सदस्य के रूप में नामित किया जाएगा।

कृपया उपर्युक्त निर्देशों के क्रम में अग्रेत्तर कार्यवाही तत्काल कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(राज प्रताप सिंह)
सचिव

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव</u>

1. प्रतिलिपि राज्य परियोजना निदेशक, महिला समाख्या, उ0प्र0, 4/13, विशाल खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, उ0प्र0 लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से

(रमेश चन्द्र घिल्डियाल)
संयुक्त सचिव

संख्या: 1576/79-6-2008-1(1)2008

प्रेषक,

रमेश चन्द्र घिल्डियाल,
संयुक्त सचिव,